

अज अदालत सहायक क्लर्क (SDO) मुकाम.....

आमन

खनाम

पांडुराम मानाराम कौर

किरम मुकदमा 111, 123 नं. 118 सन् 19

तारीख हुवम	हुवम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तापील में जारी हुए
<p>5.4.19</p> <p>10/04/19</p>	<p>प्राथी/वादी/अपीलांड के वकील श्री <u>खेताराम जासु</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 123</u></p> <p>राजस्थान कायतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी /प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10.4.19</u> को पेश हो।</p> <p>प्राथी वहील उपस्थित। अप्राथीगिनो के नोटिस तामिल बुद्धा अदल जिसे तामिल पत्रावली हीमा जमा। अप्राथीगिनो काकुड तामिल अनुसुपेदिपल। न्यायालय समय तीन बजे काकाज वकाई गई अनित्तम काकाज 5.45 pm पर वकाई गई अप्राथीगिनो तक्रमं या उनही जॉर ले होई अधिकतम उपस्थित नही हुमा। बिडाजा उनके गैरिबल एडवोकेट हाथकारी समल के वार्ड जाली है। प्राथी के अधिकतम ही एडवोकेट अदल सुनी गई प्राथी के अधिकतम ने अतारा ही प्राथी हो अपने अतारे-अतारे के चाले जॉर पत्रके नेवम तक्रापित एडवोकेट काकरमहु है। इसलिए प्राथी का नेवम वनी कावेडन तक्राप हाभा जाहद नेवमवनी कावेडन हीमा जावे। अतः प्राथी अधिकतम के निवेदन पर प्राथी का नेवमवनी कावेडन</p>	

स्वीकार किया जाऊए एवहीलए बाअतु को कमिशनर
निशुक्त किया जाता है व मोटेका दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधिनस्थ हीनी भी भू. ममि-
लेख निरिस्त ले आधी के खातेदारी खेतों की पन्ही
नेयमबानी मोठे पर खुलु जमाठराठ के पालना
रिपोट प्राप्त होने पर वामिल पआवली हो पआवली
मसल खुमार हो, इज नम्बर से कम हो, दायिल
बमल हो

10.4.2019

दिनांक:- 10/4/19

क्रमांक/वाद/2019/ 97

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पादुराम पुत्र विरधाराम वगैरा जाति जाट
निवासी खीपर
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. मानाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा
निवासी खीपर
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 19

आदेश

मौजा खीपर पटवार हल्का खीपर तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 526 रकबा क्रं. 111.00 बीघा व मौजा रामासरिया के खेत खसरा नम्बर क्रं. 636, 482, 630 , 719/630, 779/630, 780/630 रकबा क्रं. 39.02, 1.16, 8.18, 9.10, 1.04, 7.00 की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

28
10.4.2019
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 98-102

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी खीपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पादुराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री मानाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा /बायतु।

28
10.4.2019
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु